सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२.

दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९३०५१ Email ID : napu२२.mhpds@gov.in

क्रमांक : क्र. अधापु- २०२५/ प्र.क्र. ९०/ना.पु.-२२ दिनांक : ४ डिसेंबर,२०२५

प्रति

१) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे)

२) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई.

३) जिल्हा पुरवठा अधिकारी (सर्व जिल्हे),

४) अन्नधान्य वितरण अधिकारी (पुणे, नागपूर, सोलापूर),

**विषय** :- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठी **माहे जानेवारी, २०२६ पासून** वितरीत करावयाच्या अन्नधान्याचे **मासिक नियतन.**

**संदर्भ** :- १) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: असुका-२०२५/प्र.क्र. १६/ ना. पु. २८, दि. ०१.०४.२०२५.

२) शासनाचे क्र. अधापु- २०२३/ प्र.क्र.१५/ना.पु.-२२ दि. १९.११.२०२५ रोजीचे पत्र.

३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १-८/२०१३-BP-III (Vol.II) Pt. (e-३२३७३२), दि. २८.११.२०२५.

महोदय / महोदया,

शासनाच्या संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत माहे जानेवारी, २०२६ पासून केंद्र शासनाचे पुढील निर्देश प्राप्त होईपर्यंतच्या कालावधीकरिताचे मासिक नियतन देण्यात आले आहे. दरम्यान केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये माहे जानेवारी, २०२६ पासूनचे सुधारित मासिक नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. सबब, केंद्र शासनाकडून प्राप्त नियतनाच्या मर्यादेत राज्यातील जिल्ह्यांना अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरीता **माहे जानेवारी, २०२६ पासून केंद्र शासनाकडून पुढील निर्देश प्राप्त होई पर्यंतच्या** कालावधीकरिता याद्वारे नियतन मंजूर करण्यात येत आहे. जिल्हानिहाय मासिक नियतनाचा तपशील सोबतच्या विवरणपत्र "अ" व "ब" मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

२. संदर्भाधीन दि. ०१.०४.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या जिल्हानिहाय इष्टांकात सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर लाभार्थीसंख्या विचारात घेऊन सदर नियतन देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून उपरोक्त पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या नियतनातील अन्नधान्याच्या (गहू व तांदूळ) मर्यादेत जिल्हानिहाय नियतन देणे अपरिहार्य असल्याने त्याप्रमाणे जिल्हानिहाय अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) परिमाण निश्चित करण्यात आले आहे. सबब गहू व तांदळाच्या परिमाणात बदल करण्याची कोणतीही विनंती विचारात घेतली जाणार नाही.

३. सदर नियतनाकरिता भारतीय अन्न महामंडळाकडून अन्नधान्याची उचल करण्याची मुदत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील मुदतीप्रमाणे म्हणजेच नियतन महिन्याच्या आधीच्या महिन्यातील शेवटच्या दिनांकापर्यंत राहील. **विहीत कालावधीत अन्नधान्याची उचल करून ते लाभार्थ्यांना त्या-त्या महिन्यात मोफत वितरीत करावे.**

**४. सद्यस्थितीत e PoS द्वारे अन्नधान्याचे वितरण होत असल्याने मागील महिन्यात झालेल्या वितरणानंतर पुढील महिन्याकरिता वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याचा आढावा घेण्यात यावा. त्यानुसार पुढील महिन्यासाठी अन्नधान्याची उचल करताना गोदामामध्ये अतिरिक्त साठा जमा होणार नाही, यादृष्टीने गोदामातील मागील महिन्यापर्यंतच्या अन्नधान्याची शिल्लक विचारात घेऊन याद्वारे दिलेल्या नियतनापैकी आवश्यकते एवढ्याच अन्नधान्याची उचल करावी.**

५. शासनाचे सदर नियतन मंजूरीचे आदेश उपआयुक्त (पुरवठा) व इतर सर्व संबंधितांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. तरी, नियतन मंजूरीचे आदेश प्राप्त न झाल्यामुळे धान्याची विहित मुदतीत उचल करता आली नाही व त्यामुळे नियतन व्यपगत झाले, ही सबब विचारात घेतली जाणार नाही व याबाबत संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.

६. भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून गहू व तांदूळ स्विकारताना शासनाच्या निर्देशानुसार नमुने घेऊन संयुक्तपणे धान्याचा दर्जा तपासून तो समाधानकारक असल्याची खात्री करुनच धान्याची उचल करण्यात यावी. यासंबंधी शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच सदर संयुक्त तपासणीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाच्या व शासनाच्या प्रतिनिधींची नावे, त्यांचे पद व तपासणीचा दिनांक व स्थळ याबाबतची जिल्हानिहाय माहिती अन्नधान्याची उचल पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ शासनास सादर करावी. सदर माहिती नियतन महिन्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.

७. सदर अन्नधान्य राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ मधील कार्यपद्धती प्रमाणे वितरीत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. शिधापत्रिकाधारकास रास्तभाव धान्य दुकानांच्या माध्यमातून सदर धान्याचे वाटप विहित परिमाणात होत असल्याची खातरजमा करण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात. अन्नधान्याचे योग्य वाटप होत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.

८. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश, २०१५ मधील तरतूदीनुसार "उपयोगिता प्रमाणपत्र" नियमितपणे सादर करणे अनिवार्य आहे.

९. सोबतच्या विवरणपत्रांतील नियतनाच्या तक्त्यांमध्ये दर्शविलेल्या परिमाणानुसारच लाभार्थ्यांना धान्याचे वितरण करणे अनिवार्य आहे.

१०. **माहे जानेवारी, २०२६ पासून पुढील कालावधीकरिता** अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरीता नियतनानुसार गहू व तांदुळाचा साठा मुक्त करण्याच्या सूचना भारतीय अन्न महामंडळास स्वतंत्रपणे देण्यात आल्या आहेत.

११. मंजुर नियतनानुसार अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरीता गहू व तांदळाची उचल करुन वाटप करावे व केलेल्या उचल व वाटपाची माहिती न चुकता "महाफूड" आज्ञावलीत दर आठवडयास वेळीच भरावी. नियतन, उचल व वाटप यासंबंधीची माहिती वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्याबाबत शासन स्तरावरुन वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच भारतीय अन्न महामंडळाकडून केलेल्या उचलीबाबतची व रास्तभाव दुकानदारांनी केलेल्या उचलीबाबतची माहिती दररोज Google drive वर भरावी. याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी उपसंचालक, नागरी पुरवठा यांची राहील.

आपली,

04.12.25

(ईशा साईनाथ पवार)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

सोबत:- विवरणपत्र "अ" व "ब"

प्रत उचित कार्यवाहीस्तव,

१. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), यांना सूचित करण्यात येते की, नियतनाचे आदेश सर्व जिल्हयांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. आपल्या विभागातील जिल्हयांना सदर आदेश प्राप्त झाले किंवा कसे याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. आपल्या विभागातील सर्व जिल्हयांमध्ये नियतनानुसार धान्याची उचल

होत असल्याची व त्याबाबतची माहिती "महाफूड" आज्ञावलीत दर आठवडयास भरली जाण्याची योग्य ती दखल घ्यावी.

२. कक्ष अधिकारी, नापु-२५ (अ. ना. पु. व ग्रा.सं. विभाग) यांनी प्रस्तुत नियतनानुसार जिल्ह्यांनी केलेली उचल व वाटप याबाबतचा तपशील "महाफूड" आज्ञावलीद्वारेच प्राप्त करुन घ्यावा. तसेच सातत्याने पाठपुरावा करुन Google drive वर उचल व वाटपाबाबतची माहिती संकलत करण्याची सर्व कार्यवाही करावी.

३. कक्ष अधिकारी, संगणक (अ. ना. पु. व ग्रा.सं. विभाग) यांनी प्रस्तुत नियतनाची प्रत विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करावी.

प्रत ,

१) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई.

२) कक्ष अधिकारी, नापु-१६-अ, नापु-१६ब, नापु-२५, नापु-२८, नापु-२९, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई.

३) निवड नस्ती (नापु-२२).

शासन पत्र क्र. अधापु-२०२५/प्र. क्र. ९०/नापु-२२, दि. ०४.१२.२०२५ सोबतचे विवरणपत्र "अ"

केंद्र शासनाने सुधारित केलेल्या परिमाणानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत "अंत्योदय अन्न योजने" तील लाभार्थ्यांसाठी माहे जानेवारी, २०२६ पासूनचे सुधारित मासिक नियतन

| अ.क्र. | जिल्हा | कार्ड संख्या | मासिक नियतनाचे सुधारित परिमाण | | मासिक नियतन (मे.टन) (पूर्णांकात) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गहू | तांदूळ | गहू | तांदूळ | मासिक एकूण अन्नधान्य |
| १ | A Region | ६७१ | २० | १५ | १३ | १० | २३ |
| | D Region | १५० | २० | १५ | ३ | २ | ५ |
| | E Region | १९७६ | २० | १५ | ४० | ३० | ७० |
| | F Region | १०८६० | २० | १५ | २१७ | १६१ | ३७८ |
| | G Region | १५२१ | २० | १५ | ३० | २३ | ५३ |
| २ | ठाणे | ४९१५३ | २० | १५ | ९८३ | ७३७ | १७२० |
| ३ | पालघर | ९८६८७ | १५ | २० | १४८० | १९७४ | ३४५४ |
| ४ | रायगड | ८२०५१ | १५ | २० | १२३१ | १६४१ | २८७२ |
| ५ | रत्नागिरी | ३८५३५ | १५ | २० | ५७८ | ७७१ | १३४९ |
| ६ | सिंधुदुर्ग | २१३५७ | १५ | २० | ३२० | ४२७ | ७४७ |
| ७ | नाशिक | १७८७३५ | २१ | १४ | ३७५४ | २५०२ | ६२५६ |
| ८ | धुळे | ७६१९० | २२ | १३ | १६७६ | ९९१ | २६६७ |
| ९ | जळगांव | १३५७७५ | २१ | १४ | २८५१ | १९०१ | ४७५२ |
| १० | नंदूरबार | १०७०४९ | २१ | १४ | २२४८ | १४९९ | ३७४७ |
| ११ | अहमदनगर | ८८००६ | २१ | १४ | १८४८ | १२३२ | ३०८० |
| १२ | पुणे ग्रामीण | ४९३७३ | २१ | १४ | १०३७ | ६९१ | १७२८ |
| १३ | पुणे शहर | ७५०४ | २१ | १४ | १५८ | १०५ | २६३ |
| १४ | सोलापूर ग्रामीण | ५१८४७ | २१ | १४ | १०८९ | ७२६ | १८१५ |
| १५ | सोलापूर शहर | ६१३१ | २१ | १४ | १२९ | ८६ | २१५ |
| १६ | कोल्हापूर | ५२३३७ | २१ | १४ | १०९९ | ७३३ | १८३२ |
| १७ | सांगली | ३०९१८ | २१ | १४ | ६४९ | ४३३ | १०८२ |
| १८ | सातारा | २७०३० | २१ | १४ | ५६८ | ३७८ | ९४६ |
| १९ | छ.संभाजीनगर | ६७५२१ | २१ | १४ | १४१८ | ९४५ | २३६३ |
| २० | जालना | ४३८७९ | २२ | १३ | ९६५ | ५७० | १५३५ |
| २१ | नांदेड | ७९६८२ | २१ | १४ | १६७३ | १११६ | २७८९ |
| २२ | बीड | ३९४३१ | २१ | १४ | ८२८ | ५५२ | १३८० |
| २३ | धाराशीव | ३८९१५ | २१ | १४ | ८१७ | ५४५ | १३६२ |
| २४ | परभणी | ४४८३२ | २२ | १३ | ९८६ | ५८३ | १५६९ |
| २५ | लातूर | ४२७२९ | २२ | १३ | ९४० | ५५६ | १४९६ |
| २६ | हिंगोली | २९८८८ | २१ | १४ | ६२८ | ४१८ | १०४६ |
| २७ | अमरावती | १२९४६६ | २१ | १४ | २७१९ | १८१३ | ४५३२ |
| २८ | वाशिम | ५०८०१ | २२ | १३ | १११८ | ६६० | १७७८ |
| २९ | अकोला | ४५९४९ | २२ | १३ | १०११ | ५९७ | १६०८ |
| ३० | बुलढाणा | ६४०९६ | २१ | १४ | १३४६ | ८९७ | २२४३ |
| ३१ | यवतमाळ | १३५३६२ | २१ | १४ | २८४३ | १८९५ | ४७३८ |
| ३२ | नागपूर ग्रामीण | ८२१०३ | २२ | १३ | १८०६ | १०६७ | २८७३ |
| ३३ | नागपूर शहर | ४६२०१ | २२ | १३ | १०१६ | ६०१ | १६१७ |
| ३४ | वर्धा | ५०८८४ | २२ | १३ | ११२० | ६६२ | १७८२ |
| ३५ | भंडारा | ६७१८३ | १५ | २० | १००८ | १३४४ | २३५२ |
| ३६ | गोंदिया | ८३४९४ | १५ | २० | १२५२ | १६७० | २९२२ |
| ३७ | चंद्रपूर | १४४२९१ | १५ | २० | २१६४ | २८८६ | ५०५० |
| ३८ | गडचिरोली | १०२७३७ | १५ | २० | १५४१ | २०५५ | ३५९६ |
| | राज्याची एकूण | २५०५३०० | | | ४९२०० | ३८४८५ | ८७६८५ |

शासन पत्र क्र. अधापु-२०२५/प्र. क्र. ९०/नापु-२२, दि. ४.१२.२०२५ सोबतचे विवरण पत्र "ब"

केंद्र शासनाने सुधारित केलेल्या परिमाणानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत "प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यां" साठी माहे जानेवारी, २०२६ पासूनचे सुधारित मासिक नियतन

| अ.क्र. | जिल्हा | लाभार्थी सदस्यसंख्या | मासिक नियतनाचे सुधारित परिमाण | | मासिक नियतन (मे.टन) (पूर्णांकात) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गहू | तांदूळ | गहू | तांदूळ | एकूण मासिक अन्नधान्य |
| १ | A Region | ६४१५४८ | ३ | २ | १९२५ | १२५४ | ३१७९ |
| | D Region | ८६९१७४ | ३ | २ | २६०७ | १६९९ | ४३०६ |
| | E Region | १९६६७३५ | ३ | २ | ५९०० | ३८४५ | ९७४५ |
| | F Region | २६८६५६३ | ३ | २ | ८०६० | ५२५३ | १३३१३ |
| | G Region | १०४७७६७ | ३ | २ | ३१४३ | २०४८ | ५१९१ |
| २ | ठाणे | ५०७१८० | ३ | २ | १५२१ | ९९२ | २५१३ |
| ३ | पालघर | १४९८१७५ | २ | ३ | २९९६ | ४३९४ | ७३९० |
| ४ | रायगड | १५४०९७५ | २ | ३ | ३०८२ | ४५१९ | ७६०१ |
| ५ | रत्नागिरी | १०२०३०७ | २ | ३ | २०४१ | २९९२ | ५०३३ |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ५९६६७४ | २ | ३ | ११९३ | १७५० | २९४३ |
| ७ | नाशिक | ३१२४७६३ | २ | ३ | ६२४९ | ९१६४ | १५४१३ |
| ८ | धुळे | ११७३२२७ | ३ | २ | ३५२० | २२९४ | ५८१४ |
| ९ | जळगांव | २२५५०४६ | ३ | २ | ६७६५ | ४४०९ | १११७४ |
| १० | नंदूरबार | ७७५६९८ | २ | ३ | १५५१ | २२७५ | ३८२६ |
| ११ | अहिल्यानगर | २६१८९४२ | ३ | २ | ७८५७ | ५१२० | १२९७७ |
| १२ | पुणे ग्रामीण | २५२४५३५ | ३ | २ | ७५७४ | ४९३६ | १२५१० |
| १३ | पुणे शहर | १३६५८३७ | ३ | २ | ४०९७ | २६७० | ६७६७ |
| १४ | सोलापूर ग्रामीण | १६४३९६९ | ३ | २ | ४९३२ | ३२१४ | ८१४६ |
| १५ | सोलापूर शहर | ५१५९९४ | ३ | २ | १५४८ | १००९ | २५५७ |
| १६ | कोल्हापूर | २३४३५५५ | ३ | २ | ७०३१ | ४५८२ | ११६१३ |
| १७ | सांगली | १७६७२१४ | ३ | २ | ५३०२ | ३४५५ | ८७५७ |
| १८ | सातारा | १६९६२५९ | ३ | २ | ५०८९ | ३३१६ | ८४०५ |
| १९ | छ.संभाजीनगर | २१३४५३२ | ३ | २ | ६४०४ | ४१७३ | १०५७७ |
| २० | जालना | १४२१२९७ | ३ | २ | ४२६४ | २७७९ | ७०४३ |
| २१ | नांदेड | २०२१७७४ | ३ | २ | ६०६५ | ३९५३ | १००१८ |
| २२ | बीड | १५७७४६१ | २ | ३ | ३१५५ | ४६२६ | ७७८१ |
| २३ | धाराशीव | १०३२८४६ | ३ | २ | ३०९९ | २०१९ | ५११८ |
| २४ | परभणी | १०९२०५२ | ३ | २ | ३२७६ | २१३५ | ५४११ |
| २५ | लातूर | १६७२१४७ | ३ | २ | ५०१६ | ३२६९ | ८२८५ |
| २६ | हिंगोली | ६९९०५९ | ३ | २ | २०९७ | १३६७ | ३४६४ |
| २७ | अमरावती | १५५६०१६ | ३ | २ | ४६६८ | ३०४२ | ७७१० |
| २८ | वाशिम | ८३५२१७ | ३ | २ | २५०६ | १६३३ | ४१३९ |
| २९ | अकोला | ११४२७४६ | ३ | २ | ३४२८ | २२३४ | ५६६२ |
| ३० | बुलढाणा | १६६७४६३ | ३ | २ | ५००२ | ३२६० | ८२६२ |
| ३१ | यवतमाळ | १५८९२७८ | ३ | २ | ४७६८ | ३१०७ | ७८७५ |
| ३२ | नागपूर ग्रामीण | १५२२४२७ | ३ | २ | ४५६७ | २९७७ | ७५४४ |
| ३३ | नागपूर शहर | १५१३२८१ | ३ | २ | ४५४० | २९५९ | ७४९९ |
| ३४ | वर्धा | ९८१०६४ | ३ | २ | २९४३ | १९१८ | ४८६१ |
| ३५ | भंडारा | ७८३८८७ | २ | ३ | १५६८ | २२९९ | ३८६७ |
| ३६ | गोंदिया | ७६५९९५ | २ | ३ | १५३२ | २२४६ | ३७७८ |
| ३७ | चंद्रपूर | ११४८३१८ | २ | ३ | २२९७ | ३३६८ | ५६६५ |
| ३८ | गडचिरोली | ४७५७९९ | २ | ३ | ९५२ | १३९५ | २३४७ |
| राज्याची एकूण | | ५९८१२७९६ | | | १६६१३० | १२९९४९ | २९६०७९ |